



2026:AHC:21219

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2019 सन् 2026

बजरंग याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजय सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 की उपधारा 3 के तहत एक आवेदन राजस्व अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संबंधित प्राधिकारी इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, इस याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें, लेकिन किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक लाभ न दें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"